Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

प्रेषक,
कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि / एन0ओ0सी0सेल / 2015 / 1443
दिनांक 27/05/2015

सेवा में,
प्रबन्धक,
कालिन्दी सिंह महाविद्यालय, इशोपुर माहपुर,
गाजीपुर।

विषयः–प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय / पाठ्यक्रम की स्थापना / संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक– 28.07.2014 के सन्दर्भ में सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2103 / सत्तर–2–2012–2(166) / 2002, दिनांक–09 अगस्त 2012 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति प्रस्तावों के निस्तारण हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 28.02.2015 एवं चार सदस्यों की संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त माननीय कुलपति जी ने कालिन्दी सिंह महाविद्यालय, इशोपुर माहपुर, गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र प्रा0 इतिहास, अर्थशास्त्र विषयों / पाठ्यक्रमों में विषयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:–

1. उप जिलाधिकारी, सैदपुर गाजीपुर के पत्र संख्या– मेमो / पन्द्रह–एस0टी0 / 2015 दिनांक 28 फरवरी 2015 के अनुसार लीज डीड के आधार पर ग्राम इशोपुर माहपुर त0 सैदपुर जिला गाजीपुर में गाटा संख्या 66 : 5730.47 स / 0.2000 है एवं ग्राम मुबारकपुर त0 सैदपुर में गाटा संख्या 148 / 0.1260, 17 / 0.1430 कुल 2 गाटा टोटल रकबा 1.0420 ह0 यानि 10420 वर्गमीटर है, सभी गाटा आपस में सटा है। यह भूमि अकृषित [illegible] महाविद्यालय के नाम लीजडीड के आधार पर विधिवत अन्तरित है। भूमि की स्थिति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अन्यथा की दशा में अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. उक्त पाठ्यक्रम / विषय में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम / विषय में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर–2–2000–2(166) / 2002, दिनांक–27 सितम्बर 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम / विषय के बाबत किसी लायबिलिटी से इस विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा तथा संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो विश्वविद्यालय से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी विश्वविद्यालय की होगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय / संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही दिया जायेगा।
7. यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेख / प्रपत्रों / प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान की जा रही है तथा यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव / प्रबंधक, प्रबंध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. महाविद्यालय की प्रवेशद्वार पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना प्रदर्शित करना।

प्रबन्धक
कालिन्दी सिंह महाविद्यालय
इशोपुर माहपुर–गाजीपुर